बिहार विधान-सभा सचिवालय

मंगलवार, तिथि २ जून, १९७०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २ जून, १९७० को पूर्वाह्न १२ बजे अध्यक्ष श्री राम नारायण मंडल के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

पदाधिकारी पर आरोप।

२। श्री बद्री सिंह—क्या प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात नहीं है कि भभुआ अवर-प्रमंडल के शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रसिद्ध नारायण शर्मा ने अवरिहां (दुर्गावती प्रखंड) लो० प्रा० स्कूल के सहायक शिक्षक श्री शिव मूरत सिंह के खिलाफ मिथ्यारोप लगाकर अवरिहां से रामगढ़ प्रखंड में स्थानान्तरण करवाया था;

(२) क्या यह बात सही है कि अवरिहां गांव की जनता ने श्री शिव मूरत सिंह के अनुचित स्थानान्तरण का घोर विरोध किया है;

(३) क्या यह बात सही है कि जनता के तीव्र विरोध एवं श्री प्रसिद्ध नारायण शर्मा के मिथ्यारोप के कारण श्री शिव मूरत सिंह का स्थानान्तरण जिला शिक्षाधीक्षक द्वारा स्थगित कर दिया गया था;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री प्रसिद्ध नारायण शर्मा के मिथ्यारोप के खिलाफ उन पर कौन-सी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है?

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है। बात यह है कि अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी द्वारा श्री शिव मूरत सिंह का स्थानान्तरण श्री कपिलमुनी राम, शिक्षक, बंडारा को स्थानान्तरित करने के लिए किया गया। श्री कपिलमुनि राम लोअर निम्न प्राथमिक विद्यालय, बढ़ोरा अंचल रामगढ़ के विरुद्ध प्रखंड शिक्षा प्रसार-पदाधिकारी, रामगढ़ का प्रतिवेदन था तथा श्री कपिलमुनि राम के आवेदन-पत्र पर प्रखंड शिक्षा प्रसार-पदाधिकारी, दुर्गावती की भी अनुशंसा थी कि उन्हें दुर्गावती प्रखंड में जहां जाना चाहते हैं उस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी भी सूचना तुरत देने में अपने को असमर्थ पाते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्ण सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

(३) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर ने आश्वासन दिया है कि एक महीने के भीतर ही लम्बित देयकों का भुगतान करा देंगे।

कनीय सहायकों को प्रोन्नति।

५३३। श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा--क्या प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग में वरीय सांख्यिकी सहायकों का पद कई महीनों से रिक्त है;

(२) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोक शिक्षा निदेशक, बिहार के पत्रांक २८, दिनांक ९ जनवरी, १९७० द्वारा प्रसारित अनुक्रम सूची के अनुसार कनीय सांख्यिकी सहायकों में से वरीय सहायकों को उक्त पदों पर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) लोक शिक्षा निदेशक के तिथि ९ जनवरी, १९७० के पत्र संख्या २८ द्वारा प्रसारित अनुक्रम सूची के विरुद्ध कतिपय अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो प्रसारित सूची में संशोधन कर वरीय सांख्यिकी सहायक के पद को भरने की कार्रवाई की जायगी।

कालेज को अंगीभूत बनाने की मांग।

५३४। श्री सरयू सिंह--क्या प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि एस० एस० कालेज, औरंगाबाद बहुत पुराना कालेज है;

(२) क्या यह बात सही है कि अंगीभूत किये जाने की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यह कालेज करता है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस० एस० कालेज, औरंगाबाद को अंगीभूत करने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग--(१) यह कालेज १९४१ में आरम्भ हुआ था।

(२) एवं (३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार की यह नीति रही है कि जिला स्तर के कालेज को अंगीभूत बनाया जाय। इस नीति के अनुसार १२ जिलों के कालेज अंगीभूत बनाये गये हैं। इधर विशेष कारणों से नालन्दा कालेज, बिहार शरीफ और जी० डी० कालेज, बेगूसराय को अंगीभूत बनाया गया है जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विधान-सभा में दिया जा चुका है।

इधर कई एक कालेजों से अंगीभूत ही बनाने की मांग आ रही है। सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने जा रही है कि अंगीभूत कालेज बनाने के लिये क्या कसौटियाँ हैं। आशा की जाती है कि बचे हुए जिला मुख्यालयों के कालेजों को प्राथमिकता दी जायगी। यह भी तभी संभव होगा जब यथेष्ठ निधि की व्यवस्था हो जाय। जिला मुख्यालय के बाद ही अन्य कालेजों के बारे में विचार किया जायगा। तत्तकाल औरंगाबाद कालेज को अंगीभूत बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। अभी इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है कि किसी कालेज को अंगीभूत बनाया जाय। पहले धनराशि की व्यवस्था करनी होगी और उसके पश्चात निर्णय करना होगा कि किन-किन कालेजों को अंगीभूत बनाया जाय। इसमें जिला मुख्यालत स्थित कालेज को प्राथमिकता दी जायगी।

राज्य सम्पोषित विद्यालय बनाने की मांग।

५३९। श्री रामसेवक हजारी--क्या प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि बरभंगा जिलान्तर्गत श्री कुशेश्वर उच्च विद्यालय कुशेश्वर प्रखंड के पिछड़ा लोगों के बीच अवस्थित है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय सहरसा जिला के पश्चिमी क्षेत्र के पिछड़ा इलाके से भी संबंधित है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को राज्य संपोषित बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) सरकार आमतौर से राज्य संपोषित विद्यालय उन क्षेत्रों में खोलती है जहां जनता के सहयोग से पहले से विद्यालय नहीं चलता हो। चूंकि कुशेश्वर प्रखंड में पहले से विद्यालय चल रहे हैं अतः वहां राज्य संपोषित बनाने की आवश्यकता नहीं दीखती। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालकों के लिए राज्य संपोषित विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।